



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-1344 स्टे. आयु./2020/

भिलाई, दिनांक 17/11/2020

// आदेश //

नगर पालिक निगम, भिलाई के कार्यालयीन कार्यों के फाईल संचालन प्रणाली में आवश्यक सुधार, सुगम बनाने QR कोड आधारित फाईल ट्रैकिंग प्रणाली लागू किया जाना है। प्रत्येक विभाग प्रमुख इस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने में उत्तदरदायी होंगे एवं निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावेंगे :-

1. प्रत्येक नये फाईल में QR कोड स्टिकर लगाकर ही फाईल संचालन में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावें, साथ ही स्टिकर की द्वितीय प्रति को नस्ती पंजीयन रजिस्टर में अनिवार्य रूप से चस्पा किया जावे। सॉफ्टवेयर के प्रत्येक फील्ड में जानकारी भरा जाना सुनिश्चित करावें।
2. प्रत्येक विभाग से इस कार्य हेतु किसी वरिष्ठ स्टॉफ कम सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-3 स्तर के कर्मचारी नामांकन नोडल प्रभारी के रूप में किया जाकर इसकी जानकारी स्टेनो टू आयुक्त कार्यालय में 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जावें। उक्त नोडल प्रभारी ही QR कोड स्टिकर का प्रभारी एवं साफ्टवेयर में फाईल विवरण डाटा एन्ट्री हेतु उत्तरदायी होगा।
3. नवीन फाईलों को बिना QR कोडिंग स्टिकर रजिस्ट्रेशन के आयुक्त कक्ष में स्थापित मुख्य आवक-जावक द्वारा नहीं लिया जावेगा, उक्त फाइल को तत्काल प्रभाव से वापस लौटा दिया जावेगा।
4. अपने-अपने विभाग/जोन में पूर्व से प्रचलित फाइलों को भी इसी QR कोड प्रणाली में जल्द से जल्द सम्मिलित कर लिया जावे।
5. कार्य संपादन में किसी प्रकार की समस्या, कठिनाई आने पर एजेंसी के श्री योगेश धोबले मोबाईल नंबर - 9826155674 एवं श्री वेणू मोबाईल नंबर - 9827171120 से समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसकी सूचना डाटा सेंटर में भी दिया जावें।
6. प्रति दिवस समस्त विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभाग के नस्तियों की अद्यतन स्थिति उक्त प्रणाली के माध्यम से ज्ञात कर मॉनिटरिंग कर लिया जावें।
7. अपने-अपने विभाग/जोन का यूजर आई. डी/पासवर्ड डाटा सेंटर से प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कर लें तथा पासवर्ड को सुरक्षात्मक तरीके से उपयोग में लावें।
8. प्रत्येक स्टिकर में कोड नंबर प्रिंट अंकित किया हुआ है। इस कोड नंबर से कम्प्यूटर साफ्टवेयर के द्वारा साफ्टवेयर में आवश्यक डाटा एन्ट्री का कार्य किया जा सकता है।



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ- /स्टे. आयु./2020/

भिलाई, दिनांक

//2//

9. नस्ती में निराकरण / निरस्त संबंधी कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण होने पर तदाशय का रिमार्क साफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से कर लिया जावे।
10. QR कोड प्रणाली में लिंक <http://fts.bhilainagarnigam.com> पर क्लिक कर विभाग को उपलब्ध कराये गये **user id** एवं **password** के माध्यम से उपयोग में लाया जावे।
11. हाथों-हाथ जो नस्तियां स्वीकृत कराया जाता है। ऐसे नस्तियों को भी फाईल ट्रैकिंग में स्वीकृति उपरांत अनिवार्य रूप से एन्ट्री कराया जावे।

(ऋतुराज रघुवंशी)

आई.ए.एस.

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र /एफ-3457 स्टे.आयु./2020/

भिलाई, दिनांक 17/11/2020

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, परियोजना/जलकार्य, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
3. जोन आयुक्त, जोन - 1,2,3,4,5,6 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
5. सर्व संबंधित विभाग प्रमुखनगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
7. डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई